राजव्यवस्था

ब्रह्मास्त्र

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण पुस्तक

APNI PADHAI PUBLICATION

आपणी पढ़ाई

Apni Padhai Publication

सिद्धमुख मोड़, राजगढ़ (चूरू)

© प्रकाशकाधीन

- Apni Padhai

- Apni Padhai

- 7568716768

मूल्य - ₹ 100 /-

इस पुस्तक के किसी भी भाग को प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना छापना या किसी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से फोटोकॉपी, PDF, रिकॉर्डिंग या अन्य किसी विधि से वितरण नहीं किया जा सकता है, इसके सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं।

इस पुस्तक को तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है पुस्तक में दिये गये तथ्य व विवरण उचित व विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त किये गये हैं, फिर भी इसमें किसी प्रकार की त्रुटि, गलती, कमी के लिए लेखक, प्रकाशक, सम्पादक, मुद्रक, विक्रेता जिम्मेदार नहीं होंगे। आप उक्त शर्तें मानते हुए ही यह पुस्तक खरीद रहे हैं।

हमारे प्रकाशन की पुस्तकें ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट

WWW. APNI PADHAI PUBLICATION .COM

पर विजिट करें

भूमिका

प्रिय विद्यार्थीयों,

आप सभी का स्नेह, विश्वास और निरंतर सहयोग ही हमारे पब्लिकेशन की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकों को आपने जिस तरह से अपनाया और सराहा, उसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी सफलता और सीखने की ललक ही हमारे हर प्रयास की प्रेरणा है।

"राजव्यवस्था ब्रह्मास्त्र" पुस्तक को विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें विषय–वस्तु को संक्षिप्त, सरल और परीक्षा केंद्रित नोट्स के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ताकि आपका अध्ययन अधिक प्रभावी, व्यवस्थित और आत्मविश्वास से भरा हो सके। हमारा प्रयास रहा है कि आप कम समय में अधिकतम ज्ञान प्राप्त करें और परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करें।

यह पुस्तक रंगीन चित्रों के साथ शॉर्ट नोट्स पर आधारित है। इस पुस्तक में वहीं सामग्री समाहित की गई है जो " Examiner " पूछता है।

मुझे आशा है कि राजस्थान राजव्यवस्था की यह ब्रह्मास्त्र पुस्तक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगी

मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे यह किताब लिखने की शक्ति दी, मैं यह पुस्तक अपने माता–पिता, पत्नी नीलम व बेटी परिधि को समर्पित करता हूँ जिनके हिस्से के समय को चुराकर मेने यह किताब लिखी है, साथ ही अपने सहयोगी अक्षय सर (रेलवे) व नवीन पूनिया का विशेष आभारी हूँ जिनके अथक परिश्रम से पुस्तक का प्रकाशन संभव हो पाया है।

रोहित चौधरी

INDEX

(1) राज्यपाल .... 1 - 9

(2) मुख्यमंत्री एवं मंत्रीपरिषद् .... 10 - 15

(3) राज्य विधानमण्डल .... 16 - 27

(4) राजस्थान उच्च न्यायालय .... 28 - 31

(5) राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव .... 32 - 33

(6) जिला प्रशासन .... 34 - 35

(7) प्रमुख आयोग .... 36 - 45

(8) प्रमुख अधिनियम .... 46 - 47

(9) लोकायुक्त .... 48 - 49

(10) महाधिवक्ता .... 50 - 50

(11) पंचायती राज .... 51 - 57

(12) नगरीय (शहरी) स्वशासन .... 58 - 60

1 राज्यपाल

भाग - 6 (राज्य सरकार)
(अनुच्छेद 153 - 237)

भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 - 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख है

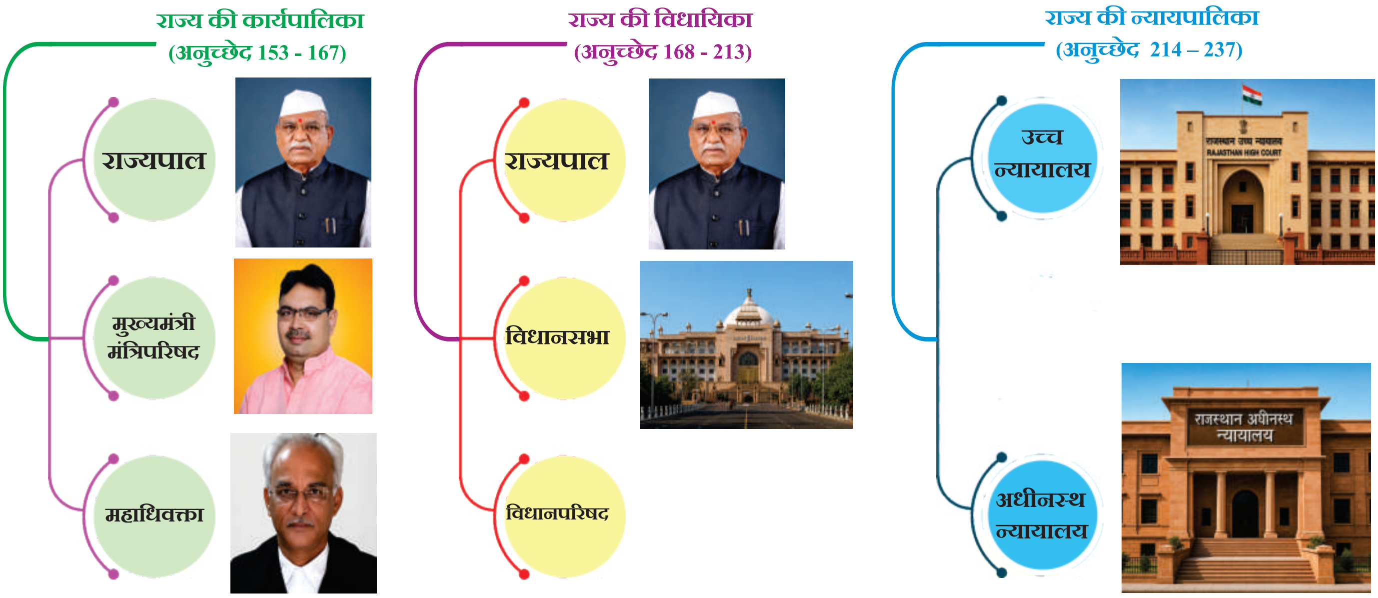

❖ राज्यपाल (Governor) –

- राज्य प्रशासन में सर्वोच्च पद (मुख्य कार्यकारी) – राज्यपाल (गवर्नर) का होता है।
- राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है।
- राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है।
- केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
- राज्यपाल औपचारिक प्रमुख (नाममात्र) होता है क्योंकि वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद् के पास होती है।
- 1 नवम्बर 1956 तक राज्यपाल को राजप्रमुख कहा जाता था।
- राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7 वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राजप्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद आया।

❖ राज्यपाल से संबंधित कथन –

- सरोजिनी नायडू के अनुसार – राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है

- मार्गरेट अल्वा के अनुसार– राज्यपाल राज्य सरकारों के लिए Headache है तथा दूसरी ओर केन्द्र सरकार भी इन्हें महत्व नहीं देती

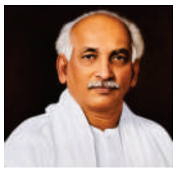

- सीतारमैया के अनुसार – राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करने, इनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है।

- विजयलक्ष्मी पण्डित के अनुसार– राज्यपाल का पद केवल वेतन का आकर्षण है।

राज्यपाल के लिए माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय तथा अंग्रेजी में Honourable Governor अभिवादन से संबोधित करते है।

❖ राज्यपाल सचिवालय –

- राजस्थान में राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता देने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है।
- राज्यपाल का सचिव ही इस सचिवालय का प्रमुख होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है।
- राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के समय राजभवन में इन्फॉर्मास पॉर्टल (INFORMAS), सुगम (SUGAM) एप्प, वाइस चांसलर्स लीव व ई–स्टोर पॉर्टल की शुरुआत की गई।

❖ राज्यपाल रिलीफ फण्ड / राज्यपाल राहत कोष –

- इसका गठन 14 मार्च 1973 में राज्यपाल – जोगिन्दर सिंह के समय किया गया।
- इस फण्ड से राज्यपाल की आज्ञा एवं निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया से व्यय किया जाता है।
- उद्देश्य – अकाल व अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता
- प्राकृतिक आपदाओं में सहायता देना

राजस्थान में राष्ट्रपति शासन (4 बार)

क्र.स.	राष्ट्रपति शासन की अवधि	राज्यपाल	मुख्यमंत्री	कारण	राष्ट्रपति
1.	13 मार्च 1967 से 26 अप्रेल 1967 तक (45 दिन)	सम्पूर्णानन्द (लागू) सरदार हुकमसिंह (समाप्त)	मोहनलाल सुखाड़िया	चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण	डा. राधाकृष्णन
2.	30 अप्रेल 1977 से 21 जून 1977 तक (53 दिन)	वेदपाल त्यागी (लागू) रघुकुल तिलक (समाप्त)	हरिदेव जोशी	1975 का राष्ट्रीय आपातकाल	बी. डी. जत्ती (कार्यवाहक राष्ट्रपति)
3.	17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक (110 दिन)	रघुकुल तिलक (लागू - समाप्त)	भैरोसिंह शेखावत	गैर कांग्रेसी सरकार (जनता पार्टी)	नीलम संजीव रेड्डी
	15 दिसम्बर 1992 से 3 दिसम्बर 1993 तक (354 दिन)	एम. चैन्नारेड्डी (लागू) धनिकलाल मंडल, बलिराम भगत (समाप्त)	भैरोसिंह शेखावत	बाबरी मस्जिद विवाद	शंकर दयाल शर्मा

2 मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद

- राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख (मुखिया) मुख्यमंत्री होता है।

❖ अनुच्छेद 164 – मुख्यमंत्री पद का उल्लेख

- **अनुच्छेद 164 (1)** – मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा
- मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे।

- सामान्यतः राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है लेकिन चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है तथा 1 महिने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है।

- **मुख्यमंत्री का कार्यकाल** – सामान्यतः 5 वर्ष
- राज्यपाल के प्रसादपर्यंत मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है।
- यहाँ प्रसादपर्यंत का अर्थ है – विधानसभा में पूर्ण बहुमत।
- यदि विधानसभा में पूर्ण बहुमत न हो तो समय से पहले ही त्यागपत्र देना पड़ता है।

- **त्यागपत्र** – राज्यपाल को
- मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र माना जायेगा।

- **पद से हटाना** – विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है।

- **अनुच्छेद 164 (2)**– मंत्रिपरिषद् राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

- **अनुच्छेद 164 (3)** – मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है।
- इनकी शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है।

- **अनुच्छेद 164 (4)** – मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री पद हेतु संविधान में अलग से योग्यता का उल्लेख नहीं है, उसकी योग्यता वही है जो विधानसभा के सदस्यों की होती है।
- यदि मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर विधानमण्डल के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी है।

> नोट – अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं
>
> यदि मुख्यमंत्री विधानपरिषद् का सदस्य है या मुख्यमंत्री मनोनीत है तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता

- **अनुच्छेद 164 (5)** – मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण राज्य विधानमण्डल करता है।
- 1 नवम्बर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संविधान की दूसरी सूची के अनुसार थे।
- मुख्यमंत्री का वर्तमान वेतन – 75 हजार रू प्रतिमाह

- **अनुच्छेद 166**–राज्य सरकार की कार्यवाही का संचालन

❖ मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ –

- **अनुच्छेद 167**– राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है।
- मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन तथा विधान संबंधी प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को समय–समय पर सूचित करता है।

- **अन्य कार्य** – राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् के बीच मुख्यमंत्री संचार का माध्यम है।
- मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् की अध्यक्षता करता है तथा इस बात का निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद् की बैठक कब और कहाँ होगी।

❖ महत्वपूर्ण तथ्य –

- भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री – सुचेता कृपलानी
- राजस्थान की प्रथम केयरटेकर सरकार (कामचलाऊ सरकार) के मुख्यमंत्री – टीकाराम पालीवाल

◆ राज. के मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों में राज्यपाल रहे

(1) हरिदेव जोशी (2) मोहनलाल सुखाड़िया
(3) जगन्नाथ पहाड़िया (4) शिवचरण माथुर

◆ मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नही रहे –

(1) जयनारायण व्यास (2) भैरोंसिंह शेखावत
(3) भजनलाल शर्मा

- राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे – हीरालाल देवपुरा
- टीकाराम पालीवाल व जगन्नाथ पहाड़िया ऐसे मुख्यमंत्री है जो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य रहें।

◆ राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष रहे –

(1) भैरोंसिंह शेखावत (2) वसुंधरा राजे (3) हरिदेव जोशी

◆ राजस्थान में चार बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति– मोहनलाल सुखाडिया

◆ तीन बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति –
हरिदेव जोशी, भैरोंसिंह शेखावत व अशोक गहलोत

◆ दो बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति –
शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे व जयनारायण व्यास

◆ राजस्थान में सर्वाधिक अवधि के आधार पर राजस्थान के मुख्यमंत्री –

(1) मोहनलाल सुखाड़िया (2) अशोक गहलोत
(3) भैरोंसिंह शेखावत (4) हरिदेव जोशी

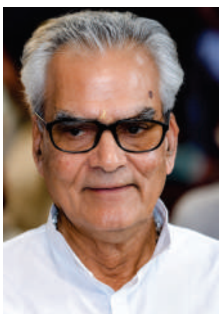

◆ राजस्थान कार्यविधि नियम के अनुसार निम्नांकित कार्य करने से पूर्व मुख्यमंत्री की स्वीकृति लेना अनिवार्य है –

- व्यक्तियों को विचारण के बिना निरूद्ध रखने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (4) के अधीन सलाहकार बोर्ड का गठन
- मृत्युदण्ड से दण्डित व्यक्ति के लिए क्षमादान के प्रकरण
- वित्त विभाग में परिवर्तन के मुद्दे
- ऐसे मामले जिनसे राज्य की शान्ति प्रभावित हो, उनमें आदेश जारी करने से पहले मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेंगे।

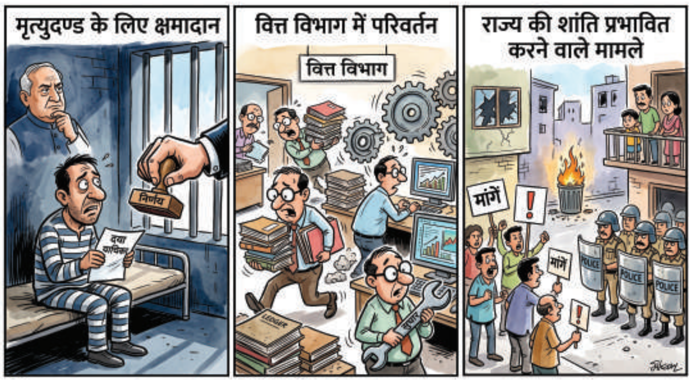

3 राज्य विधानमण्डल

- भारतीय संविधान के भाग – 6 व अनुच्छेद – 168 – 212 तक राज्य विधानमण्डल का वर्णन है।

❖ अनुच्छेद 168 – राज्य विधानमण्डल का गठन

- प्रत्येक राज्य में विधानमण्डल होगी जो राज्यपाल और दो सदनों से मिलकर बनेगी।
- दो सदन – विधानसभा/निम्न सदन (अनुच्छेद– 170)
  विधान परिषद्/उच्च सदन (अनुच्छेद– 169)

राज्य विधानमण्डल

→ राज्यपाल | विधानसभा | विधान परिषद्

- राज्यपाल, विधानमण्डल का सदस्य नहीं होता लेकिन उसका अभिन्न अंग होता है क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक (कानून) बनता है।
- राजस्थान में एक सदनात्मक विधानमण्डल (सिर्फ विधानसभा) है।
- भारत के 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधानमण्डल (विधानसभा – विधानपरिषद्) है

(1) उत्तरप्रदेश (2) बिहार (3) महाराष्ट्र
(4) कर्नाटक (5) आन्ध्रप्रदेश (6) तेलगांना

❖ विधानपरिषद् –

- **अनुच्छेद 169 – विधानपरिषद् का उत्सादन / सृजन (गठन)**

- राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती है
- संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उस राज्य में विधानपरिषद् की स्थापना कर सकती है।
- विधानपरिषद् स्थायी सदन है इसे विघटित (भंग) नहीं कर सकते लेकिन संसद इसे समाप्त कर सकती है।
- 18 अप्रेल 2012 को राजस्थान में विधानपरिषद् की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित करके संसद में भेजा गया था लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी कानून नहीं बनाया गया।

❖ अनुच्छेद 170 – विधानसभा की संरचना

- किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें 500 व न्यूनतम सीट 60 हो सकती हैं।
- सर्वाधिक विधानसभा सीटें उत्तरप्रदेश (403) में हैं।

> नोट – गोवा (40), मिजोरम (40) सिक्किम (32), पुड्डुचेरी (30) की विधानसभा सीट 60 से कम हैं।

- वर्तमान में सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है।
- राजस्थान में विधानसभा सीट – 200
- अनुसूचित जाति (SC) के लिए 34 व अनूसूचित जनजाति (ST) के लिए 25 सीटें आरक्षित है।
- 2026 तक राज. में विधानसभा की सीटें 200 ही रहेंगी।
- विधानसभा का गठन प्रत्येक पाँच वर्ष बाद जनता द्वारा मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर होता है।

❖ अनुच्छेद 171 – विधानपरिषद् की संरचना

- **अनुच्छेद 171 (1)** – राज्य के विधानपरिषद् के सदस्यों की संख्या, उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों के एक तिहाई (1/3) से अधिक नहीं होगी तथा 40 से कम नहीं होगी।
- यदि राजस्थान में विधानपरिषद् बनती है तो अधिकतम सीटें 66 होंगी।

> नोट – 7 वाँ संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अनुच्छेद 171 (1) में संशोधन करके प्रावधान किया गया कि राज्य विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक चौथाई की बजाय एक तिहाई से अधिक नहीं होगी।

- **विधानपरिषद के सदस्यों का निर्वाचन** – आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा।

4 राजस्थान उच्च न्यायालय

- राजस्थान में उच्च न्यायालय की मुख्य (प्रधान) पीठ – जोधपुर
- 30 मार्च 1949 को राजस्थान गठन के समय राजस्थान की 5 रियासतों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर व कोटा) में स्वयं के उच्च न्यायालय थे।
- 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के पहले उच्च न्यायालय का उद्घाटन जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा जोधपुर में किया गया।
- इस समारोह में माननीय न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा व 11 अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई

◆ 11 अन्य न्यायाधीश निम्न हैं –

(1) नवल किशोर – जोधपुर
(2) कुंवर अमर सिंह – जोधपुर
(3) कँवरलाल बाफना – जयपुर
(4) मोहम्मद इब्राहीम – जयपुर
(5) जवानसिंह राणावत – उदयपुर
(6) शार्दुलसिंह मेहता – उदयपुर
(7) दुर्गाशंकर दवे – बूँदी
(8) त्रिलोकचन्द दत्त – बीकानेर
(9) आनन्द नारायण कौल – अलवर
(10) के. के. शर्मा – भरतपुर
(11) क्षेमचन्द (खेमचन्द) गुप्ता – कोटा

- राजस्थान पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के बाद 11 जुलाई 1957 को सत्यनारायण राव समिति (अध्यक्ष – पी. सत्यनारायण राव व अन्य सदस्य – वी. विश्वनाथन, बी. के. गुहा थे) गठित की गई जिसकी सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर ही रही, लेकिन उच्च न्यायालय की खंड पीठ जयपुर को समाप्त कर दिया गया।
- 8 दिसम्बर 1976 को पुनः जयपुर पीठ (बेंच) की स्थापना की गई जिसने अपना विधिवत कार्य 31 जनवरी 1977 को शुरू किया
- राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 – 1 अक्टूबर 1952 से प्रभावी हुए।
- उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य – सत्यस्य जयोऽस्तु

❖ उच्च न्यायालय –

- भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालय की संरचना का वर्णन है
- भारत में सबसे पहले 1862 में कलकत्ता (सबसे प्राचीन), बम्बई व मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई
- 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय बना।
- भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं।
- 2019 में 25 वां उच्च न्यायालय आन्ध्रप्रदेश बना।
- भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश – अन्ना चांडी (केरल उच्च न्यायालय)
- भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश- लीला सेठ (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय)

❖ अनुच्छेद 214 - प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय

- अनुच्छेद 231 के तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए संयुक्त रूप से एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है।
- जैसे – पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ का संयुक्त हाईकोर्ट – चंडीगढ है
  – असम, नागालैण्ड, मिजोरम व अरूणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट – गुवाहाटी उच्च न्यायालय
  – महाराष्ट्र, गोवा, दमनदीव व दादर नगर हवेली का हाईकोर्ट – बॉम्बे हाईकोर्ट

❖ अनुच्छेद 215 - उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है

- उच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही व कार्य लिखित रूप में होते हैं।
- उच्च न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में मान्य होते हैं।
- उच्च न्यायालय की अवमानना पर दण्ड का प्रावधान है

5 राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव

❖ राज्य सचिवालय –

- सचिवों का आलय (घर) है जिसमें राज्य सरकार के समस्त विभागों के राजनैतिक एवं प्रशासनिक कार्यपालक नीति एवं कानून का निर्धारण करते हैं।
- प्रत्येक राज्य का एक सचिवालय होता है।
- यह राज्य प्रशासन प्रणाली (सिस्टम) के उच्चतम स्तर पर कार्यरत है।
- राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव तथा राजनैतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है।
- राज्य सचिवालय में विभागों को प्रशासनिक विभाग कहा जाता है जबकि केन्द्र में मंत्रालय कहा जाता है।
- जयपुर में शासन सचिवालय की स्थापना हेतु "द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस – 1949" जारी किया गया।
- राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 13 अप्रेल 1949 को जयपुर में हुई।

❖ राज्य सचिवालय की संरचना –

● **प्रशासनिक संरचना –**

मुख्य सचिव
↑
अतिरिक्त मुख्य सचिव
↑
संबंधित विभाग का प्रमुख शासन सचिव
↑
विशेष / अतिरिक्ति सचिव
↑
उप सचिव
↑
सहायक सचिव / अनुभाग अधिकारी
↑
अन्य मंत्रालयिक कर्मचारी

● **राजनितिक संरचना –**

मुख्यमंत्री
↑
कैबिनेट मंत्री
↑
राज्य मंत्री
↑
उपमंत्री

❖ मुख्य सचिव –

- मुख्य सचिव का पद 1799 में गर्वनर जनरल लार्ड वेलेजली लेकर आये।
- मुख्य सचिव, शासन सचिवालय का मुखिया या मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।
- यह राज्य सचिवालय के शीर्ष पद पर होता है।
- यह सचिवों का मुखिया होता है।
- राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है।
- मुख्य सचिव राज्य सिविल सेवाओं (नौकरशाह संगठन) का अध्यक्ष होता है।
- मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है क्योंकि किसी भी सचिव को आवंटित नहीं किये जाने वाले कार्य उसके द्वारा ही किये जाते हैं।
- मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन होता है, जो नीति निर्माण, नियंत्रण तथा प्रशासकीय नेतृत्व में सर्वाधिक महत्वूर्ण भूमिका निभाता है।

❖ मुख्य सचिव का चयन –

- नियुक्ति – मुख्यमंत्री
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का वरिष्ठ अधिकारी होता है।
- मुख्यमंत्री का विश्वासपात्र अधिकारी होता है।

वरिष्ठ अधिकारी के वरियता क्रम को पहली बार मुख्य सचिव मीठालाल मेहता की नियुक्ति के समय तोड़ा गया

6 जिला प्रशासन

- जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम मौर्यकाल में देखने को मिलता है।
- मौर्यकाल में जिले के लिए जनपद शब्द (वर्तमान में उत्तरप्रदेश में) का प्रयोग होता था जिसका प्रमुख राजुका कहलाता था।
- गुप्तकाल तथा हर्ष के समय जिले को विषय कहा जाता था जिसका प्रमुख विषयपति कहलाता था।
- सल्तनत काल में जिले को परगना तथा इसका प्रमुख फौजदार कहलाता था।
- मुगल काल मे जिले को सरकार कहते जिसका प्रमुख अमालगुजार कहलाता था।
- संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का उल्लेख जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में मिलता है।

❖ जिला कलेक्टर –

- गर्वनर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में भारत में पहली बार 1772 में कलेक्टर का पद बनाया गया।
- जिला कलेक्टर (जिलाधीश) भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) रैंक का अधिकारी होता है, यह जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है।
- जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त के निर्देशन में कार्य करता है अर्थात जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी संभागीय आयुक्त होता है।
- 2009 से राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापित किया गया।
- जिला कलेक्टर को जिला प्रशासन की आँख, कान व हाथ (बांह) कहा जाता है।
- जिला कलेक्टर जिले में लघु राज्य सरकार के रूप में कार्य करता है अर्थात जिला स्तर पर राज्य सरकार के काम के लिए जिम्मेदार अधिकारी होता है।

- **रजनी कोठारी** – जिलाधीश (जिला कलेक्टर) को संस्थागत करिश्मा की संज्ञा दी।
- **अटल बिहारी वाजपेयी** – जिलाधीश, जिला प्रशासन की धुरी है।
- **के. के. दास** – कहीं दूसरी जगह जिलाधीश नामक अधिकारी न तो हुआ है तथा न ही होगा
- **रैम्जे मैक्डोनैल्ड** – जिलाधीश की तुलना एक कछुए से की है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है

❖ जिला कलेक्टर (जिलाधीश) के कार्य –

(1) जिला दण्डनायक (जिला मजिस्ट्रेट) के रूप में–

- कानून व्यवस्था बनाये रखना, पुलिस पर नियत्रंण रखना
- कारागारों का निरीक्षण करना
- दावा रहित सम्पति को निस्तारित करने का आदेश देना
- भारत में आने वाले विदेशियों के पासपोर्ट (पारपत्रों) की जाँच करना
- विशेष परिस्थितियों में रात को पोस्टमार्टम कराने की अनुमति देना
- स्थानीय निकायों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करना

(2) भू राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य –

- भू राजस्व एकत्रित करना
- भूमि सुधार, भूमि प्रबन्ध तथा भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों को देखना

(3) जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्य –

- जिले की विकास परियोजनाओं की निगरानी करना व सभी विकास कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वन करना
- जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार में समन्वय करना

(4) अन्य कार्य –

- जिले में मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में
- जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में
- जिले में मुख्य जनगणना अधिकारी के रूप में

7 प्रमुख आयोग

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

- मानव अधिकारों की पहली बार घोषणा 1948 में की गई अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन – 10 दिसम्बर 1948 को हुआ।
- मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर को मनाया जाता है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन – 12 अक्टूबर 1993
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम – 1993 के अध्याय 5 में धारा 21 से 29 में राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में प्रावधान है।
- राज्य मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक / वैधानिक निकाय है अर्थात संवैधानिक निकाय नहीं है।
- यह एक स्वायत तथा उच्चाधिकार प्राप्त संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारो की रक्षा हेतु निगरानी करना है।
- राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत 18 जनवरी 1999 को किया गया जिसने अपना कार्य 23 मार्च 2000 से प्रारम्भ किया।
- राज. राज्य मानवाधिकार आयोग (प्रकिया व विनियम) 2001 का क्रियान्वयन 19 जनवरी 2001 को हुआ।
- इसका मुख्यालय – जयपुर में है।

❖ संरचना (विन्यास) –

- बहुसदस्यीय निकाय है
- 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य (1999 में गठन के समय)
- वर्तमान में – 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य (मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के बाद)

- **अध्यक्ष** – राजस्थान उच्च न्यायालय का सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश
- **सदस्य** –

(1) एक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत या वर्तमान न्यायाधीश / जिला न्यायालय का सेवानिवृत या वर्तमान न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो

(2) एक सदस्य मानवाधिकारों का विशेषज्ञ हो

❖ धारा 22 – आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति

- राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है –

- **चयन समिति** –

- इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते है
- इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है

(1) मुख्यमंत्री (अध्यक्ष)
(2) गृहमंत्री (सदस्य)
(3) विधानसभा अध्यक्ष (सदस्य)
(4) विधानसभा में विपक्ष का नेता (सदस्य)

❖ धारा 23 – आयोग के सदस्यों का हटाया जाना

- अध्यक्ष तथा सदस्य को राष्ट्रपति के आदेश से तभी हटाया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय द्वारा जाँच करने के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपना कार्य करने में असमर्थ है तथा उसके विरूद्ध कदाचार साबित हो गया है।

❖ धारा 24 – कार्यकाल

- अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष इनमें जो भी पहले हो।

नोट – 2019 में हुए संशोधन से पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष था

- अध्यक्ष व सदस्यों को पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।

- मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य होना।
- आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है, जो विधानमण्डल के समक्ष रखती है।

❖ अपीलीय शक्तियाँ –

- **धारा 19 (1)** – ऐसा कोई व्यक्ति जिसे समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है या राज्य सूचना के अधिकारी के किसी निर्णय से असहमत हैं तो वह उस अवधि की समाप्ति पर ऐसी सूचना की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को प्रथम अपील कर सकेगा, जो राज्य लोक सूचना अधिकारी से ऊपर का वरिष्ठ अधिकारी हो।
- **धारा 19 (3)** – राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील, प्रथम अपील के आदेश पारित होने की तिथि से 90 दिवस के भीतर की जा सकती है।
- अधिनियम की धारा – 19(7) के अनुसार राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होता है।

● अपील का निर्णय करते समय सूचना आयोग के संबंधित सूचना आयुक्त को लगता है कि –

- सूचना का आवेदन लेने से इंकार कर दिया है
- निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई हो
- जानबूझकर अधूरी या झूठी सूचना दी हो
- सूचना के आवेदन की विषय वस्तु को समाप्त कर दिया है तो वह उस लोक सूचना अधिकारी पर आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक 250 रु प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगा सकता है जो अधिकतम 25 हजार होगा

❖ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त –

क्र.सं	अध्यक्ष	कार्यकाल
1	एम. डी. कोरानी	18.4.2006 से 18.4.2011
2	टी. श्रीनिवासन	सितम्बर 2011 से अगस्त 2015
3	सुरेश कुमार चौधरी	नवम्बर 2015 से दिसम्बर 2018
4	देवेन्द्र भूषण गुप्ता	दिसम्बर 2020 से दिसम्बर 2023
5	मोहन लाल लाठर	9.7.2024 से लगातार

❖ महत्वपूर्ण बिन्दु –

- राजस्थान सम्पर्क पोर्टल (181) को जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण हेतु 2014 में शुरू किया गया।
- 13 सितम्बर 2019 को जन सूचना पोर्टल लागू करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है। जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य सोशल ऑडिट के साथ–साथ आमजन को आसानी से सुविधा उपलब्ध कराना है। यह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (2) को लागू करता है।
- सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु 18 दिसम्बर 2020 को जनकल्याण पोर्टल (Public Welfare Portal) का शुभारम्भ किया गया।
- आर. टी. आई पोर्टल 2.0 – राज्य सूचना आयोग द्वारा लॉन्च किया गया।

9 लोकायुक्त

- अधिकांश देशों में जिस संस्था को ओम्बुड्समैन कहते हैं उसे भारत में केन्द्रीय स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त कहा जाता है।
- भारत में लोकपाल या लोकायुक्त नाम 1963 में जोधपुर के कानूनविद डॉ. एल.एम. सिंघवी ने दिया था
- मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966 – 70) ने सर्वप्रथम केन्द्र स्तर पर 'लोकपाल' व राज्य स्तर पर 'लोकायुक्त' संस्था की सिफारिश की।
- लोकसभा में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में रखा गया।
- भारत में सर्वप्रथम 1970 में ओडिशा में लोकायुक्त विधेयक लाया गया।
- 1971 में महाराष्ट्र में व 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त पद की स्थापना हुई।
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पर राष्ट्रपति ने 31 दिसम्बर 2013 को हस्ताक्षर किये।
- यह अधिनियम 16 जनवरी 2014 से प्रभावी हुआ।

❖ राजस्थान में लोकायुक्त संस्था –

- 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ, जो 3 फरवरी 1973 से राजस्थान में प्रभावी/लागू हुआ। इसे 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई।
- लोकायुक्त वैधानिक (सांविधिक) तथा सलाहकारी (जाँच कर सकता है, दण्ड नहीं दे सकता) संस्था है।
- लोकायुक्त राजस्थान का मुख्यालय – जयपुर

❖ धारा 3 – नियुक्ति

- लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 2 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है।

● **चयन समिति में –**

(1) विधानसभा में विपक्ष का नेता
(2) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

- उप लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है।

● **शपथ** – राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा

❖ धारा 4 – योग्यता

(1) उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश हो
(2) लाभ का पद धारण ना करता हो
(3) संसद व विधानमण्डल का सदस्य ना हो
(4) राजनीतिक दल से जुड़ा ना हो

❖ धारा 5 – पदावधि व सेवा शर्तें

● **कार्यकाल**– 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो – वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता

● **त्यागपत्र** – राज्यपाल को

● **वेतन भत्ते** – लोकायुक्त के वेतन भत्ते एवं पेंशन राज. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होती है

❖ धारा 6 – पद से हटाना

- संविधान के अनुच्छेद 311 में वर्णित प्रावधानों के तहत कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- हटाने से पूर्व राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्ति से जाँच कराई जायेगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत

10 महाधिवक्ता

- राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो राज्य सरकार को विधिक (कानूनी) मामलों में सलाह देता है

- यह केन्द्र के महान्यायवादी के समकक्ष होता है।
- राजस्थान में राज्य पुनर्गठन अधिनियम–1956 के तहत महाधिवक्ता (Advocate General) के पद का सजृन किया गया।
- महाधिवक्ता का पद संवैधानिक है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 165 में किया गया है

❖ अनुच्छेद 165 - राज्य का महाधिवक्ता

- **अनुच्छेद 165 (1)** - राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है।

- **अनुच्छेद 165 (2)** - महाधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्देशित किये जाये।
- **अनुच्छेद 165 (3)** - महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यनत पद धारण करेगा।

- महाधिवक्ता के पारिश्रमिक (वेतन – भत्ते) राज्यपाल द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

- **कार्यकाल** - संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है।

- **त्यागपत्र** - राज्यपाल को देगा।

- **अनुच्छेद 177** - महाधिवक्ता राज्य विधानमण्डल का सदस्य नहीं होता है लेकिन विधानमण्डल की बैठकों में भाग ले सकता है, उसमें बोल सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता।

- महाधिवक्ता विधानमण्डल की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है।

❖ महत्वपूर्ण तथ्य –

- राजस्थान के महाधिवक्ता कार्यालय की मुख्यपीठ – जोधपुर तथा खण्डपीठ – जयपुर में है।
- राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता – जी. सी. कासलीवाल (सर्वाधिक कार्यकाल – 15 वर्ष रहा)
- महाधिवक्ता के रूप में 3 बार नियुक्त हुए – बी. पी. अग्रवाल
- राजस्थान में वर्तमान 19 वें महाधिवक्ता – राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

11 पंचायती राज

- स्थानीय लोगों द्वारा स्वशासन की व्यवस्था ही स्थानीय स्वशासन है। इसके दो स्तर हैं –

(1) ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज) –

- इसके तीन स्तर हैं –

जिला परिषद (उच्च स्तर)

↑

पंचायत समिति (मध्य स्तर)

↑

ग्राम पंचायत (निम्न स्तर)

(2) नगरीय (शहरी) स्वशासन –

(विस्तृत जानकारी नगरीय स्वशासन अध्याय में है)

- गर्वनर जनरल व वायसराय लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम 1882 में जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत का गठन किया एवं स्थानीय निकायों के विकास का प्रस्ताव तैयार किया।
- लार्ड रिपन के इसी प्रस्ताव को स्थानीय शासन का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।
- 1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय बनाया गया जो वर्तमान में भी राज्य सूची का विषय है।
- भारतीय संविधान के भाग 4 (राज्य के नीति निदेशक तत्व) के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है।
- आजादी से पूर्व राजस्थान में सबसे पहले बीकानेर रियासत में 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया, इसके बाद जयपुर (1938), उदयपुर (1940), सिरोही (1943), भरतपुर (1944), जोधपुर (1945) व करौली (1949) में पंचायतों पर कानून बनाने गये।
- राजस्थान में सर्वप्रथम 1953 में विधानसभा द्वारा पंचायतीराज राज अधिनियम 1953 पारित किया गया। अधिनियम 1 जनवरी 1954 से लागू हुआ जिसके तहत पूरे राजस्थान में ग्राम पंचायतो की स्थापना की गई।

❖ पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियाँ –

● बलवन्त राय मेहता समिति – 1957

- पंचायती राज पर गठित पहली समिति थी
- इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे
- लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पर बल दिया
- समिति ने 24 नवम्बर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें पुराने जिला बोर्डों को समाप्त करके त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के गठन की सिफारिश की

● सादिक अली समिति – 1964

- इस समिति ने प्रधान व जिला प्रमुख के चुनाव निर्वाचक मण्डल द्वारा करवाने के सुझाव दिये

● गिरधारी लाल व्यास समिति – 1973

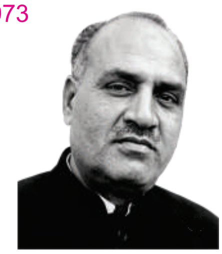

- प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सेवक तथा सचिव नियुक्त करने, पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन बढ़ाने पर बल दिया

● अशोक मेहता समिति – 1977

- अगस्त 1978 में रिपोर्ट प्रस्तुत की
- द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया

(1) जिला स्तर (2) मण्डल स्तर

- ग्राम पंचायतों के स्थान पर मण्डल पंचायतों के गठन की सिफारिश की
- जिला कलेक्टर सहित सभी अधिकारी जिला परिषद् के अधीन रखे जाये

12 नगरीय (शहरी) स्वशासन

- शहरी स्वशासन का रूप ही नगरीय स्वशासन है।
- इसके तीन स्तर है –

नगर निगम
↑
नगर परिषद्
↑
नगर पालिका

- नगरीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है।
- राज. में पहली नगर पालिका – माउंट आबू (1864) इसके बाद अजमेर (1866), ब्यावर (1867) तथा जयपुर (1869) में नगरपालिका की स्थापना हुई।
- राज. में स्थानीय निकाय विभाग की स्थापना – 1950
- नगरीय इकाइयों को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, इस समय प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव थे।
- यह अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हुआ।
- राजस्थान में 9 अगस्त 1994 को लागू हुआ।
- 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में एक नया भाग 9 (क) जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 243 त (P) से 243 यछ (ZG) तक कुल 18 अनुच्छेद है, इसमें अनुसूची 12 जोड़ी गई जिसमें 18 विषय है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है।

❖ अनुच्छेद का विवरण –

❖ 243 त (P) – परिभाषाएँ

❖ 243 थ (फ) – नगरपालिका का गठन

- प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय नगरपालिकाओं की संरचना है –

(1) नगर निगम– 5 लाख से 1 करोड़ की जनसंख्या पर

(2) नगर परिषद्– 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर

(3) नगर पालिका (नगर पंचायत) – 20 हजार से 1 लाख की जनसंख्या पर

❖ 243 द (R) – नगरपालिकाओं की संरचना

❖ 243 ध (S) – वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना

❖ 243 न (T) – स्थानों का आरक्षण

- अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जायेगा, इसमें एक तिहाई (1/3) स्थान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
- नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई (1/3) स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
- राज्य विधानमण्डल कानून बनाकर पिछड़े वर्ग के लिए भी नगरीय संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान कर सकेगी

❖ 243 प (U) – नगर पालिकाओं की अवधि

❖ 243 फ (V) – सदस्य के लिए निरर्हताएँ

❖ 243 ब (W) – नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

- 12 वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल किए हैं, राज्य विधानमण्डल कानून बनाकर नगरपालिकाओं को ये अधिकार दे सकती है जो निम्न है –

(1) नगरीय योजना (2) भूमि प्रयोग व भवन निर्माण
(3) आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजना लागू करवाना (4) सडकें और पूल निर्माण
(5) घरेलू, वाणिज्य और औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल प्रबन्ध (6) सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, कचरा, मृतक पशुओं को हटाना

(2) नगर परिषद् –

- आबादी – 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में
- राजनीतिक अध्यक्ष – सभापति
- प्रशासनिक अध्यक्ष – आयुक्त
- चुनाव – अप्रत्यक्ष
- वार्ड सदस्य – पार्षद
- न्यूनतम वार्ड – 13
- कार्यकाल – 5 वर्ष
- न्यूनतम आयु – 21 साल

(3) नगर निगम –

- वर्तमान संख्या – 10
- आबादी – 5 लाख से 1 करोड़ तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में
- राजनीतिक अध्यक्ष – महापौर / मेयर
- प्रशासनिक अध्यक्ष – मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- चुनाव – अप्रत्यक्ष
- वार्ड सदस्य – पार्षद
- न्यूनतम वार्ड – 13
- कार्यकाल – 5 वर्ष
- न्यूनतम आयु – 21 साल

❖ महत्वपूर्ण बिन्दू –

- वर्तमान में राजस्थान में 10 नगर निगम है –

(1) जयपुर (2) जोधपुर (3) कोटा
(4) अजमेर (5) बीकानेर (6) उदयपुर
(7) भरतपुर (8) अलवर (9) पाली
(10) भीलवाड़ा

- पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव के बाद वोटों की गिनती और प्रबंधन की निगरानी के लिए राज्य चुनाव आयुक्त रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करती है।
- 1974 में नगरपालिका प्रशासन में बजटीय सुधार समिति के अध्यक्ष – गिरिजापति मुखर्जी
- राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के 2 साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।
- अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु एक तिहाई (1/3) सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
- हटाने के लिए लाये गये प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक की गणपूर्ति तीन चौथाई (3/4) होना आवश्यक है।
- प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए 3/4 सदस्यों का बहुमत आवश्यक है तथा प्रस्ताव 3/4 सदस्यों के बहुमत से पारित किया जायेगा।
- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका में 6 व्यक्ति, नगर परिषद् में 8 व्यक्ति और नगर निगम में 12 व्यक्ति निर्दिष्ट किये जा सकते हैं।
- नगरपालिका चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गए उम्मीदवार के लिए 1 प्रस्तावक तथा निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 5 प्रस्तावक आवश्यक है
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में 1 सितम्बर 2003 से हुआ।
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (D.R.D.A) का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है।

राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्द्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश राष्ट्रपति को भारत का वित्त आयोग करता है